छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय, रायपुर

(1)

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक 28-05-2012

क्रमांक एफ 4-11/2012/16:- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:-

(अ) योजना का प्रावधान :-

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना 2012" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत सायकल प्रदेश के पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार को प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता:-

(i) यह योजना असंगठित कर्मकार जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, को स्वयं के लिए निवास से कार्यस्थल पर जाने आने के लिये प्रदाय किया जावेगा।

(ii) पंजीकृत कर्मकार की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु समूह की हो।

(iii) मंडल द्वारा लागू सिलाई मशीन सहायता योजना या शासन के किसी योजनांतर्गत सिलाई मशीन हेतु लाभ न लिया हो।

(iv) जो कर्मकार सायकल सहायता योजना अंतर्गत लाभ लेगा वह सिलाई मशीन सहायता योजना अंतर्गत लाभ लेने के पात्र नहीं होगें।

(v) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :-

(i) आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) आवेदन में पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारितां के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय मे जमा किया जावेगा।

(द) स्वीकृति का अधिकार :-

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति को होगा।

(ई) विसंगति का निराकरण :-

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मं का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
रायपुर दिनांक 28.04.12

पृष्ठांकन क0 एफ 4-11/2012/16,

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
4. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
7. कलेक्टर, जिला ....(छ.ग.)
8. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी..............................(छ
10. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ...(छ.
11. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

(3)

(3)

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय, रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक 28-04-2012

क्रमांक एफ 4–11/2012/16:– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना 2012" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन प्रतिवर्ष प्रदेश कें पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकारों को प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता:–

(i) यह योजना असंगठित महिला कर्मकार जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई (दर्जी) का काम करती है एवं किसी नियोजक के यहां कार्यरत है अथवा स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर अपना एवं अपने परिवार का जीवन–यापन करते हैं एवं प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, को प्रदाय किया जावेगा।

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु समूह।

(iii) मंडल द्वारा लागू सायकल सहायता योजना तथा राज्य शासन के अन्य विभागों द्वारा लागू किये गये किसी अन्य योजनांतर्गत सिलाई मशीन हेतु सहायता/लाभ न प्राप्त किया हो।

(iv) जो कर्मकार सायकल सहायता योजना अंतर्गत लाभ लेगा वह सिलाई मशीन सहायता योजना अंतर्गत लाभ लेने के पात्र नहीं होगें।

(v) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

(i) आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

D:\Domanic k\spotta\aadesh.doc632

(ii) आवेदन में पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(द) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति को होगा।

(इ) विसंगति का निराकरण :–

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
रायपुर दिनांक 28.05.2012

पृष्ठांकन क्र0 एफ 4–11/2012/16,

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
4. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
7. कलेक्टर, जिला ....(छ.ग.)
8. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी..(छ.ग.)
10. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ...(छ.ग.)
11. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर प्रेषित

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय, रायपुर

(5)

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक 28-04-2012

क्रमांक एफ 4-11/2012/16 : असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "असंगठित कर्मकार सायकल रिक्शा सहायता योजना 2012" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत मंडल द्वारा प्रदेश के सायकल रिक्शा चलाने वाले पंजीकृत असंगठित कर्मकार को सायकल रिक्शा/हाईटेक सायकल रिक्शा हेतु स्वयं के द्वारा 25 प्रतिशत अंशदान करने पर 75 प्रतिशत अथवा रू. 5000/— वास्तविक लागत का जो भी कम हो की सहायता प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता:—

(i) असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक।

(ii) पंजीकृत कर्मकार की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह की हो।

(iii) योजना का लाभ एक बार प्राप्त होगा।

(iv) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :—

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) आवेदन में पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

...2

(6)

(द) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति को होगा।

(ई) विसंगति का निराकरण :–

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.आर. मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्र0 एफ 4–11/2012/16, रायपुर दिनांक 28-04-2012

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
4. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ.ग.)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
7. कलेक्टर, जिला .... (छ.ग.)
8. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ.ग.)
9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....
10. उप संचालक/सहायक संचालक [illegible] ....
11. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय [illegible] (छ.ग.) की ओर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इ[illegible] प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 10.09.2012

कमांक एफ 10–13/2012/16 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम "असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर, सायकल सहायता योजना 2012" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत असंगठित समाचार–पत्र बांटने वाले (हॉकर) कर्मकार को सायकल प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) यह योजना असंगठित कर्मकार समाचार–पत्र बांटने वाले जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, को समाचार–पत्र बांटने के लिए प्रदाय किया जावेगा।

(ii) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) आवेदन में पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(द) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त एक अन्य अधिकारी की समिति को होगा।

----2

(ई) विसंगति का निराकरण–

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्र0 एफ 10–13/2012/16, रायपुर, दिनांक 10.09.2012

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर। वित्त विभाग की सहमति दिनांक 03.09.2012 अनुसार योजना अधिसूचित की गई।
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
8. सचिव, छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....(छ0ग0)
10. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
11. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय, रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक 28-04-2012

क्रमांक एफ 4–11/2012/16:- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:-

(अ) योजना का प्रावधान :-

(i) योजना का नाम "असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना 2012" होगा।

(ii) पंजीकृत असंगठित कर्मकर जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर इलाज हेतु रूपये 50,000/-- की चिकित्सा सहायता प्रदान की जायेगी।

(iii) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।

(iv) योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी में किडनी, कैंसर, सिकलिंग, (सिकलसेल एनिमिया) हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग सम्मिलित होंगे।

(ब) योजना की पात्रता:-

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश असंगठित कर्मकारों का मण्डल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक है।

(ii) 18 से 60 वर्ष की उम्र के असंगठित कर्मकार इस योजना के लिए पात्र होंगे।

(iii) असंगठित कर्मकार का हितग्राधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए।

(iv) योजना का लाभ एक बार प्राप्त होगा।

(iv) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :-

(i) असंगठित कर्मकार की चिकित्सा सहायता हेतु स्वतः द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

...2

D:\Domestic Kisoon\aadesh 000636

(10)

(ii) आवेदन पत्र के साथ संबंधित बीमारी के संबंध में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र संबंधित बीमारी के चिकित्सा खर्च की अनुमानित व्यय का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति को होगा।

(ii) स्वीकृत किये गये राशि संबंधित हितग्राही को एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से वितरण किया जावेगा।

(ई) विसंगति का निराकरण :—

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो / नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
रायपुर दिनांक 28-04-2012

पृष्ठांकन क0 एफ 4–11 / 2012 / 16,

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
4. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
7. [illegible] (छ.ग.)

8 सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)

9 सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी..(छ.ग.)

10 उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ...(छ.ग.)

11 उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

(12)

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 10-1/2013/16 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार स्वावलंबन पेंशन योजना"** होगा।

(ii) यह योजना पंजीकृत असंगठित कर्मकार (जिसे आगे श्रमिक पढ़ा जावेगा) हेतु पेंशन योजना है, जिसका लाभ 18 से 60 वर्ष तक जमा रकम से मिलने वाली पेंशन के रूप में होगा। यदि किसी पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु पेंशन प्रारंभ होने से पहले हो जाती है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को फंड की संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। यदि नामित व्यक्ति चाहे तो वह पेंशन भी ले सकता है।

(iii) योजना में हितग्राही का न्यूनतम अंशदान रू0 1,000/- है एवं एक वर्ष में अधिकतम अंशदान रूपये 12,000/- देय होगा। असंगठित कर्मकार किसी भी समयावधि में अपना अंशदान की राशि को अपनी बचत अनुसार बढ़ा सकता है।

(iv) **"मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार स्वावलंबन पेंशन योजना"** 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के लिए पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के लिए प्रभावशील होगा।

(v) **"मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार स्वावलंबन पेंशन योजना"** के तहत् प्रतिवर्ष रूपये 1,000/- पीएफआरडीए द्वारा केन्द्रांश राशि के रूप में प्रति श्रमिक हेतु जमा किया जावेगा एवं प्रतिवर्ष प्रति श्रमिक रूपये 1,000/- असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

(vi) **"मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार स्वावलंबन पेंशन योजना"** के प्रावधान के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूर्ण करनेवाला हितग्राही जमा राशि का 60 प्रतिशत राशि एकमुश्त प्राप्त कर सकता है एवं बकाया 40 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में अदायगी होगी। 50 वर्ष की आयु से पूर्व भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजना से पेंशन ले सकता है। उस स्थिति में 80 प्रतिशत राशि का प्रयोग पेंशन देने के रूप में किया जायेगा, बशर्ते पेंशन राशि न्यूनतम रूपये 1,000/- प्रतिमाह हो।

(vii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक 01.04.2013 से प्रभावशील होगें।

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु असंगठित कर्मकारों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा।

(ii) मण्डल द्वारा 18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को योजना में शामिल किया जावेगा।

(iii) यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया**

(i) आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा।

(ii) दो रंगीन फोटो (पासपोर्ट साईज) फोटो पहचान पत्र, निवास तथा आयु प्रमाण पत्र।

(iii) आवेदन में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iv) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

(द) **स्वीकृति का अधिकार :–**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा।

(इ) **योजना का कियान्वयन–**

(i) योजना के कियान्वयन हेतु पीएफआरडीए द्वारा अधिकृत संस्थाओं को Aggregator/ Facilitator नियुक्त किया जा सकेगा।

(फ) **विसंगति का निराकरण–**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी0 आर0 मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
रायपुर, दिनांक 04-03-2013

पृष्ठांकन क0 एफ 10–1/2013/16,

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सचिव, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, रायपुर (छ.ग.)
9. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
10. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....(छ0ग0)
11. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
12. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

(21)

(21)

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
//अधिसूचना//

दिनांक 10/9/2013

कमांक एफ 10–11/2013/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तिग्रों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

(अ) **योजना का प्रावधान :–**

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री राऊत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना"** होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के राऊत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले प्रवर्ग को सायकल हेतु रूपये 3,000/– अथवा सीएसआईडीसी द्वारा सायकल के लिए निर्धारित दर जो कम हो, प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) **योजना हेतु पात्रता :–**

(i) योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसी भी जिले में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत हो, को प्रदाय किया जावेगा।

(ii) पंजीकृत असंगठित कर्मकार राऊत, चरवाहा तथा दूध दुहने वाले वर्ग की आयु 18 से 60 वर्ष आयु समूह।

(iii) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया**

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) आवेदन में पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला पंचायत कार्यालय/नगरीय निकाय/श्रम कार्यालय में जमा किया जावेगा।

२५६५
10/9/13

स्वीकृति का अधिकार :–

(i) योजना के अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता के जिला पंचायत कार्यालय/नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/नगर निगम आयुक्त/ सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर को प्रेषित् करेगा।

(ii) योजना के अंतर्गत आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार जिला कलेक्टर अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को मान्य होगा।

(ई) विसंगति का निराकरण :–

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी0आर0 मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृ.क्रमांक :– एफ 10–11/2013/16 रायपुर, दिनांक 10/9/2013

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. सचिव सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
8. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
9. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
10. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
11. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
12. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
13. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

(23)

(23)

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//अधिसूचना//

दिनांक 10-09-2013

कमांक F 10-09/2013/16 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :-

(अ) **योजना का प्रावधान** :-

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना"** होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के कोटवार प्रवर्ग को सायकल हेतु रूपये 3,000/- अथवा सीएसआईडीसी द्वारा सायकल हेतु निर्धारित दर जो कम होगा एवं टार्च हेतु रूपये 750/- प्रति व्यक्ति प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) **योजना हेतु पात्रता** :-

(i) योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसी भी जिले में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत हो, को प्रदाय किया जावेगा।

(ii) पंजीकृत असंगठित कर्मकार कोटवार वर्ग की आयु 18 से 60 वर्ष आयु समूह।

(iii) मंडल द्वारा लागू सायकल सहायता योजना तथा राज्य शासन के अन्य विभागों द्वारा लागू किये गये किसी अन्य योजनान्तर्गत सायकल एवं टार्च सहायता/लाभ न प्राप्त किया हो।

(iv) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया**

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

2483
10/9/13

(ii) आवेदन में पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(द) **स्वीकृति का अधिकार :–**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति का होगा।

(ई) विसंगति का निराकरण–

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी0आर0 मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृ0क0 F 10-09/2013/16 रायपुर, दिनांक 10 09-2013

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. सचिव सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
8. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
9. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
10. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
11. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
12. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 12-05-2014

कमांक एफ 10–9/2013/16 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की अधिसूचना कमांक F10-09/2013/16, रायपुर दिनांक 10.09.2013 में असंगठित कर्मकारों के लिए ''मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना'' में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती हैः–

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(ii) ''पंजीकृत असंगठित कर्मकार कोटवार वर्ग की आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक की हो।''

उपरोक्त अधिसूचना, अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी0आर0मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृ0क0 एफ 10–09/2013/16

रायपुर, दिनांक 12.05.2014

प्रतिलिपि :–

1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2 अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
4 सचिव सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
5 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7 कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
8 सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0),
9. प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, रायपुर

निरंतर ...2/

10. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी..............................छ0ग0.
11. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा..........................छ0ग0.
12. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाषन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक– 15.5.2015

क्रमांक एफ–1–4/2015/16 :– राज्य शासन एतद्द्वारा निर्णय लिया जाता है कि असंगठित कर्मकार मण्डल के पंजीकृत श्रमिकों द्वारा "**प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना**" में शामिल होने हेतु उनकी सहमति के आधार पर योजनांतर्गत प्रति हितग्राही देय वार्षिक प्रब्याजि (प्रीमियम) राशि रु. 12 (रु.बारह मात्र) का छ.ग.असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा देय होगा ।

राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15/5/15
(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छ.ग.शासन,श्रम विभाग

पृ.क्रमांक एफ–1–4/2015/16 **नया रायपुर, दिनांक– 15.5.2015**

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मान.मुख्यमंत्री जी (भारसाधक मंत्री, श्रम) मंत्रालय, नया रायपुर
2. अध्यक्ष, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव,छ.ग.शासन,श्रम विभाग,मंत्रालय,नया रायपुर
4. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर
5. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
6. कलेक्टर, जिला..............................छ.ग.
7. सचिव, छ.ग.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल, रायपुर
8. कल्याण आयुक्त,श्रम कल्याण मंडल, रायपुर
9. नोडल अधिकारी,छ.ग.असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल,नया रायपुर

15/5/15
उप सचिव,
छ.ग.शासन,श्रम विभाग